भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 540
दिनांक 07.02.2024/ 18 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

जेलों से मोबाइल फोन के जरिए संगठित अपराध

540# श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पाँच वर्षों में तिहाड़ जेल सहित केन्द्रीय जेलों से मोबाइल फोन के जरिए संगठित अवैध गतिविधियां संचालित करने वाले कैदियों का ब्यौरा क्या है;
(ख) इन कैदियों द्वारा विगत पाँच वर्षों में कितने लोगों से अवैध वसूली की गई है और कितने अपराधों को अंजाम दिया गया है; और
(ग) विगत पाँच वर्षों में विभिन्न केन्द्रीय जेलों में जेल कर्मियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II की प्रविष्टि 4 के तहत,'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति' "राज्य सूची" का विषय है। कारागारों और कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की होती है जिन्हें अपने अधिकार क्षेत्र की जेलों में यह सुनिश्चित करना होता है कि मोबाइल फोन/जबरन वसूली आदि जैसी कोई अवैध गतिविधि न हो।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उन्हें अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। इस संबंध में विशिष्ट जानकारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा नहीं रखी जाती है।

*****